

21/11/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
 उभयपक्ष प्रार्थना पत्र 212-R-TA पर बहस
 आरम्भ करना चाहते हैं बहस हेतु डाकिलिग आग्रह
 पिया जाता है। तबसे पत्रावली में प्रार्थना पत्र 212
 R-TA पर बहस हेतु दिनांक 12/12/19 को प्रार्थना
 आग्रही दिनांक तक जारी अर्साई निषेधाज्ञा बहाल
 जारी है।

12-12-19 उभयपक्ष उपस्थित नारीन उभयपक्षी राजकीय
 कार्य से बाहर हैं। अर्साई पर हस्तक्षेप
 अर्साई निषेधाज्ञा दिनांक 9-1-20 को पेश हो।
 अर्साई का 8/1/20 ध्यात रहेगा।
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-1-20 उभयपक्ष उपस्थित नारीन उभयपक्षी राजकीय
 कार्य से बाहर हैं। अर्साई पर हस्तक्षेप
 अर्साई निषेधाज्ञा दिनांक 27-2-20 को पेश हो।
 अर्साई का 15/2/20 ध्यात रहेगा।
 उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-2-20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित द्वारा
 दैनिक कार्य संचालन/अधिक्षाकार करने
 से पत्रावली दिनांक को पेश हो पूर्वका 8/1/20 ध्यात रहेगा।
 5-3-20

5.3.20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों
 ने प्रार्थना पत्र 212-R-TA पर बहस करना चाही। बहस
 शुरू की गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के
 दौरान जारी अर्साई निषेधाज्ञा भूल बाद
 पत्र के निस्तारण तक रखने की इस्तुआ
 की। जब कि वकील अप्रार्थीगण ने अर्साई
 निषेधाज्ञा को खारीज किये जाने की इस्त
 दुआ की।

मैंने पत्रावली में सलग्न दस्तावेजों व विपक्षीगण
 द्वारा जवाब पर एवं विद्रुय पत्र पर अध्ययन
 व मनन किया। विपक्षीगण जो रेफाउंड स्वातेदार
 होने से उसे पारित नहीं किया जा सकता है अतः

उपखण्ड अधिकारी
 नांदल जिला नीलवाड़ा

प्रा.पत्र श्वारीज योग्य है। प्रार्थना पत्र इसी
स्टेज पर श्वारीज किया जाता है। पत्रावली
फॉर्म नुमांर लेकर भूलवाप पत्र के साथ सल
की जावे। 8

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

